

प्रारूप-10

{ नियम 6 (7) देखिए }

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14, जविप्रा जयपुर।

संख्या : JDA/DC/ZONE-14/2024/D- ५९

दिनांक : 16/11/2024

लोक सूचना

मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुभाष चन्द सैनी, पंजीकृत कार्यालय- 709, ओके प्लस, सेक्टर-7, मानसरोवर, जयपुर एवं मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री लोकेश यादव पुत्र श्री श्यामलाल यादव पंजीकृत कार्यालय- 702-703, ओके प्लस स्क्वायर, पटेल मार्ग, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित 90ए आदेश क्रमांक LU2012/JDA/2023-24/102598 दिनांक 23.08.2023 से आवासीय प्रयोजनार्थ 90ए शुदा भूमि में नवीन भूमि को सम्मिलित करते हुए आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट. में)	खातेदार का नाम
तहसील चाकसू जिला जयपुर	रामपुरा वास गोनेर	212	0.10	90ए आदेश दिनांक 23.08.2023 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज।
		219	0.22	
		222	0.20	
		233	0.16	
		234	0.52	
		236	0.15	
		239	0.17	
		249 / 1	0.19	
		251 / 1	0.18	
		252 / 1	0.17	
		673 / 235	0.0775	
		674 / 235	0.1893	
		675 / 235	0.0358	
		676 / 235	0.1893	
		678 / 240	0.023	
		680 / 241	0.0631	
		688 / 224	0.0276	
		694 / 223	0.1408	
		695 / 223	0.01	
		696 / 213	0.1671	
700 / 216	0.0347			
701 / 216	0.0853			
702 / 218	0.1087			
729 / 281	0.165			
731 / 282	0.28			

	283	0.06	
	733 / 284	0.8228	
	735 / 285	0.03	
	286	0.20	
	287	0.23	
	231	0.13	
	232	0.06	
	237	0.03	
	238	0.01	
	693 / 223	0.0192	
	242	0.20	
	677 / 235	0.0581	
	679 / 240	0.1070	
	681 / 241	0.3069	
	768 / 243	0.0228	
	230	0.20	
	771 / 229	0.0426	
	कुल किता 42	कुल रकबा 06. 1866 हैक्ट.	

मैसर्स रियासत
इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.
लि.

मैसर्स गोकुल कृपा
कॉलोनाइजर्स एण्ड
डवलपर्स प्रा.लि.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन एवं सामान्य आवासीय योजना में परिवर्तन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16.01.2024 को जारी की गयी।

प्रामुख्य अधिकारी-जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

प्रामुख्य अधिकारी-जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।